(11)

न्यायालय, अपर समाहर्ता, मधुबनी।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी ..संख्या.– 103/12–13, 47/18–19, 71/18–19 का प्रकार : बिहार भूमि सुधार एवं अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम की धारा– 16(3) अरिया सिलिंग अपील वाद

अर्जीकारः– राजेन्द्र यादव अन्य

प्रतिपक्षीः– रामचरित्तर प्रसाद वगैरह

आदेष का कम संख्या और तारीख		आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
	अपीलकर्ताः– 1– राजेन्द्र यादव पिता स्व0 बैलचो यादव 2–सत्य नारायण यादव पिता– तदैव 3– राम बिलास यादव पिता– तदैव 4– पानो यादव पिता– तदैव 5– लखनी देवी पति कैलू यादव साकिन–देवका भरगामा, डाकघर–भरगामा, थाना–भेजा, मधुबनी प्रतिपक्षीगणः–1– रामचरित्र प्रसाद पिता स्व0 भोला प्रसाद साकिन–देवका भरगामा, डाकघर–भरगामा, थाना–भेजा, मधुबनी .....**प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष।** 2– मसोमात बिन्दा देवी पति स्व0 राम अवतार यादव 3–महेश I यादव पिता स्व0 राम अवतार यादव साकिन–पिरोजगढ़ डाकघर, पिरोजगढ़, थाना–घोघरडीहा,मधुबनी वर्तमान पताः– साकिन–देवका भरगामा, डाकघर–भरगामा, थाना–भेजा, मधुबनी .....**प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष।** **विवादित भूमिः– मौजा–देवका भरगामा, थाना नं. 304, खाता–662 खेसरा–1707, 1708 पूराना, 1975, 1976 नया रकवा 0–4–0 (चार कट्ठा)**	
	आदेश I	
26.12.18	प्रस्तुत अपील वाद समाहर्ता महोदय के माननीय न्यायालय से पत्रांक–3053/जि0वि0 दिनांक–06.09.2018 द्वारा वाद की सुनवाई कर निष्पादन हेतु हस्तान्तरित हुआ। इस न्यायालय में वाद संचालन के कम में दोनों दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से अपना–अपना पक्ष रखा गया। **<u>अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः–</u>** 1–भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर के न्यायालय अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम की धारा– 16(3) अरिया सिलिंग वाद अभिलेख संख्या–12/09–10 में दिनांक– 07.11.2012 को पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अपील दायर किया गया। 2– प्रश्नगत भूमि प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष के हकीयत एवं दखल में रहती आयी। जिन्होंने प्रश्नगत भूमि बिक्री करने का एलान किया। प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष जमीन कय करने की इच्छा जाहिर नहीं किये। तयसूदा जरसेमन पर अपीलकर्ता के हाथों निबंधित केवाला दिनांक– 16.01.2010 के माध्यम से भूमि बिक्री कर दखल दे दिया। अपीलकर्ता प्रश्नगत भूमि	

के अरिया रैयत हैं। प्रश्नगत भूमि के केवाला में पश्चिम चौहद्दी में लाल दास यादव का नाम दर्ज है जो उनके पूर्वज थे।

3— प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष ने गलत आधार देकर निम्न न्यायालय में एल0सी0वाद संख्या—12/09—10 अपीलकर्ता एवं प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष के विरूद्ध दायर कर दिया। किन्तु न तो उचित ढ़ंग से केवाला में दर्ज जरसेमन अतिरिक्त दस प्रतिशत का चालान जमा किया और न ही उचित ढ़ंग से एल0सी0प्रपत्र—13 सूचना दी।

4— निम्न न्यायालय में रामचरित्र प्रसाद ने दिनांक— 13.01.2010 को राम उदार यादव से क्रय की गई भूमि के आधार पर अपने को प्रश्नगत भूमि के अरिया रैयत होने का दावा किया जबकि रामपूकार देवी उर्फ रामपरी देवी ने एल0सी0वाद 1/10 धारा—16(3) उक्त दस्तावेज में अंकित भूमि के संबंध में वाद दायर की जो लंबित है। इसलिए वे अरिया रैयत नहीं हो सकते।

5— निम्न न्यायालय ने बिना किसी आधार के दिनांक— 7.11.12 को आदेश पारित कर दिया जो कानून पर आधारित नहीं है। इसलिए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाय एवं अपील आवेदन को स्वीकार किया जाय।

प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष की ओर से प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः—

1— भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर ने प्रतिपक्षी के साक्ष्य सबूत एवं दावा सही पाकर प्रतिपक्षी के पक्ष में आदेश पारित किया जिसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

2— प्रश्नगत भूमि बिलट गोप की रहती आयी। रामउदार यादव वो राम अवतार यादव बिलट गोप के बंशज हैं। पूराना खेसरा नं. 1707 एवं 1708 नया खेसरा नं. 1976 वो 1975 दोनों भाईयों के स्वत्व एवं दखल कब्जा में रहता आया।

3— आपसी बटवारा में रामउदार यादव को पूराना खेसरा 1707 एवं 1708 में पूरब से हिस्सा मिला वो रामअवतार यादव को उसमें जानिब पश्चिम से हिस्सा मिला। प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष बिन्दा देवी रामवतार यादव की पत्नी तथा प्रतिपक्षी तृतीय पक्ष महेश यादव रामअवतार यादव के पुत्र हैं।

4— रामउदार यादव ने अपने हिस्से वो दखली पूराना खेसरा नं. 1707 नया खेसरा नं. 1975 वो 1976 के मिलजुमले रकवा में से आधा पूरब से तथा पूराना खेसरा नं. 1708 के मिलजुमले रकवा में से जानिब पूरब से 1 बीघा 14 कट्ठा 17 धूर वजरिये निबंधित केवाला दिनांक— 13.01.2010 द्वारा मोनासिव जरसेमन लेकर प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष रामचरित्र प्रसाद के हाथ बिक्री कर दखल दे दिया जिस पर प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष हकीयत दखलकार हुये। केवाला के पश्चिम महेश यादव प्रतिपक्षी संख्या—3 का नाम रहता आया।

5— प्रतिपक्षी महेश यादव एवं मो0 बिन्दा देवी को मिलाकर दिनांक— 16.01.2010 को राजेन्द्र यादव अपीलकर्ता ने बदनियतपूर्ण केवाला करवा लिया जिसके पश्चिम चौहद्दी में गलत नाम दिया जबकि पश्चिम चौहद्दी में सड़क है।

6— प्रतिपक्षी महेश यादव एवं मो0 बिन्दा देवी ने उसी दिन अन्य चार केवाला सीफल यादव, जेसी लाल यादव, जनक यादव वो संतोष यादव को केवाला कर दी जबकि प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष उन सभी जमीन के

अरिया रैयत हैं।

7– प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष ने अग्रक्रय के अधिकारी होने के नाते निम्न न्यायालय में एल0सी0वाद दायर किया जिसमें निम्न न्यायालय ने उनके दावा को सही पाते हुये अपीलकर्ता को निबंधित केवाला के माध्यम से भूमि हस्तान्तरित करने का आदेश दिया।

8– अपीलकर्ता राजेन्द्र यादव द्वारा 16.01.2010 को निबंधित केवाला के माध्यम से कय की गई भूमि के केवाला में दर्ज चौहद्यी के पूरब चौहद्यी में रामचरित्र प्रसाद का नाम दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि रामचरित्र प्रसाद प्रश्नगत भूमि के अरिया होने के नाते अग्रक्रय के अधिकारी हैं।

9– अपीलकर्ता विवादित खेसरा के किसी अंश के ना तो अरिया रैयत हैं न ही को–शेयरर। अपील आवेदन को खारिज करते हुये निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा जाय।

निम्न न्यायालय अभिलेख संख्या–12/2009–10 रामचरित्र प्रसाद–बनाम–राजेन्द्र यादव वगैरह में 07.11.2012 को पारित आदेश का मुख्य अंश:–

केवाला में दर्ज चौहद्यी पूरब भाग से आवेदक के सह रैयत का दावा उचित पाते हुये उनके अग्रक्रय के आवेदन को स्वीकृत करते हुये निम्न न्यायालय के प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष को प्रश्नगत भूमि का एक माह के अंदर निबंधित दस्तावेज से आवेदक को हस्तान्तरित करने का आदेश दिया गया।

निष्कर्ष:–

अपीलकर्ता का अपील आवेदन, प्रतिपक्षी का प्रत्युत्तर; दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय अभिलेख का अवलोकन एवं परिसिलन किया। प्रश्नगत भूमि के केवाला में दर्ज पूरब चौहद्यी में प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष का नाम दर्ज रहने के कारण निम्न न्यायालय ने रामचरित्र प्रसाद के सह रैयत होने के कारण उनके अग्रक्रय के आवेदन को स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत भूमि कृषि है। सारे तथ्यों से स्पष्ट है कि रामचरित्र प्रसाद प्रश्नगत भूमि के अग्रक्रय के अधिकारी हैं अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुये अपील आवेदन को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख वापस लौटावें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते है।

लेखापित

26.12.18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

26.12.18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।